संख्या– 466/03/XXVI (बीस सूत्री)/2004

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल, देहरादून।

नियोजन अनुभाग। देहरादून: दिनांक: 08 सितम्बर, 2004

विषय:–वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक–3454–के अन्तर्गत 04–बीस सूत्रीय कार्यक्रम हेतु अवचनबद्ध मदों मे प्राविधानित धनराशि का आवंटन/स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या–554/वि03अनु0–1/2004, दिनांक 30 जुलाई, 2004 एवं शासनादेश संख्या–448/03–नि0अनु0(बीस सूत्री)/2004, दिनांक 10 अगस्त, 2004 के संदर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष–2004–05 के लिए अनुदान–07,लेखाशीषक–"3454– जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी " के अन्तर्गत 04–बीस सूत्रीय कार्यकम कियान्वयन अधिष्ठान के लिए अवचनबद्ध मदों हेतु संलग्न विवरणानुसार आयोजनेत्तर पक्ष में निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन उल्लिखित मानक मदों के सम्मुख अंकित कुल धनराशि रूपये 9,75,000/–(रूपये नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की महामहिम राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

1– वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए अधिकृत धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजना पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2004–05 की नई मदो के कियान्वयन के लिए नहीं किया जायेगा।

2– स्वीकृत कार्यो पर व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका में बजट मैनुवल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन कड़ाई से किया जायेगा।

3– यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर व्यय नहीं किया जायेगा जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुवल के नियमों के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता हो उस प्रकरण में व्यय के पूर्व यह प्राप्त कर ली जाय।

4– संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिचिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाय तथा व्यय का विवरण यथा समय प्रत्येक माह बी0एम–13 पर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

5– उपकरण/फर्नीचर का क्रय कार्यालय/पद धारक के मानक के अनुसार डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दर अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

6– कम्प्यूटर आदि का क्रय ए0आई0सी0/आई0टी0 की संस्तुति अथवा उनके दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

7– अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। राजस्व एवं पूंजीगत पक्ष में एकमुश्त स्वीकृतियां जारी करने के पूर्व बजट मनुअल के पैरा–94 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से किया जायेगा। यदि इसे पूरा नहीं किया जायेगा तो वित्तीय अनियमितता माना जायेगा।

8– यह सुनिश्चित किया जाय कि शासन द्वारा उपरोक्त निर्देशों के अतिरिक्त इस संबंध में जारी शासनादेशों का अनुपालन अधीनस्थ तक भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

9– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–2005 तक उपयोग कर लिया जायेगा

10– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक की अनुदान संख्या–07, लेखाशीर्षक–3454–जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी –02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी–आयोजनेत्तर–001–निदेशन तथा प्रशासन–04–बीस सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन अधिष्ठान" की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

11– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1063/वि0 अनु0–3/2004, दिनांक 2सितम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

संख्या– 466 (1)/03/XXVI (बीस सूत्री)/2004, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय बिल्डिंग, पटेल नगर, देहरादून।
2– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3– वित्त अनुभाग–3, उत्तरांचल शासन।
4– समन्वयक, सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
5– गार्ड फाईल। संयुक्त निदेशक, बीस सूत्री कार्यक्रम (उ0) देहरादून,

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या–466 / 03 / XXVI (बीस सूत्री) / 2004, दिनांक: 08 ~~अगस्त,~~ सितम्बर 2004 का संलग्नक।

आयोजनेत्तर

अनदान संख्या–7	(धनराशि हजार रूपये में)
3454–जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001–निदेशन तथा प्रशासन 04–बीस सूत्रीय कार्यक्रम कियान्वयन अधिष्ठान	
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	200
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300
18–प्रकाशन	100
22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	75
42–अन्य व्यय	100
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	200
योग– (रूपये नौ लाख पचहत्तर हजार मात्र)	9,75

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

c:\nehru\des 21-08-04